उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 4-4-1986 को हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1986 की द्वितीय बैठक का
कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2- श्री माता प्रसाद		सदस्य
3- श्री राम पाल सिंह		सदस्य
4- श्री चन्द्र शेखर द्विवेदी	संयुक्त सचिव, आवास विभाग (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
5- श्री प्रेम नारायण	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
6- श्री एन0एस0जोहरी	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
7- श्री अशोक कुमार	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
8- श्री विश्राम सिंह	संयुक्त निदेशक (वित्त) (निदेशक, वित्त, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के प्रतिनिधि)	सदस्य
9- श्री एस0पी0आर्य	आवास आयुक्त	सदस्य
10-श्री धीरेन्द्र दत्त बहुगुणा	सचिव	

बैठक में विचार के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प सं0	निर्णय
1-	दिनांक 29-1-86 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	द्वितीय/(1)/86	परिषद की दिनांक 29-1-86 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 29-1-86 की अनुपालन आख्या।	द्वितीय/(2)/86	परिषद द्वारा दिनांक 29-1-86 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा आख्या का परिषद ने निम्न टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया:-- मद सं0-30 के अन्तर्गत परिषद के सदस्यों और अधिकारियों की गठित समिति महाराष्ट्र जाने हेतु दि0 20 अप्रैल-1986 के बाद पुन: कार्यक्रम निर्धारित करलें और कार्यक्रम की पूर्व सूचना महाराष्ट्र आवास एवं विकास परिषद तथा सीपोरेक्स लि0 को दे दी जाय। पिछली बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या का परीक्षण अनुश्रवण समिति कर लिया करे।
3-	वर्ष-1985-86 का पुनरीक्षित आय-व्ययक एवं वर्ष-1986-87 का आय-व्ययक का अनुमान।	द्वितीय/(3)/86	वर्ष-1985-86 का पुनरीक्षित आय-व्ययक एवं वर्ष-1986-87 के अनुमानित आय व्ययक को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और विचार विमर्श के उपरान्त वर्ष-85-86 का पुनरीक्षित आय-व्ययक तथा वर्ष-86-87 के अनुमानित आय व्ययक स्वीकृत किया गया निम्न निर्णय भी लिये गये:- 1- भविष्य में परिषद के पुनरीक्षित आय-व्ययक तथा अगले वर्ष के अनुमानित आय व्ययक के प्रस्ताव परिषद के सदस्यों की बैठक की तिथि

(M.S.)

1	2	3	4
			से कम से कम 10 दिन पूर्व अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें। 2- आय-व्ययक सम्बन्धी विवरणों के साथ वर्गवार पंजीकरण की 31 दिसम्बर तक की सूचना का विवरण प्रस्तुत किए जायें। 3- कार्यों पर अधिष्ठान व्यय की तुलना से सम्बन्धित प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण में भूमि अध्याप्ति मद के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रतिकर को अधिष्ठान व्यय के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिये सम्मिलित न किया जाय। 4- चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर तक निर्मित सम्पत्तियों तथा इनके आवंटन का विवरण। जनवरी से 31 मार्च तक निर्मित होने वाली सम्पत्तियों के आवंटन का कार्यक्रम तथा आगामी वर्ष में निर्मित की जाने वाली सम्पत्तियों सम्बन्धी कार्यक्रम भी आय-व्ययक के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 5- चालू वर्ष में 31 दिसम्बर तक निर्मित सम्पत्तियों के मूल्यांकन की प्रगति भी आय-व्ययक के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिये। 6- 31-3-86 की उपलब्ध भूमि पूर्ण निर्मित तथा अंशतः निर्मित/विकसित भूमि भूखण्ड भवन की भौतिक स्थिति का जायजा लिया जाय और भावी नियोजन इन्हें तथा आवश्यकता को दृष्टि में रखकर ही किया जाय।
4-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	द्वितीय/(14)/86	दिनांक 4-4-86 को हुई अनुश्रवण समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और परिषद के अनुमोदनोपरान्त यह निर्णय लिया कि कार्यवृत्त में इंगित निर्णयों का अनुपालन किया जाय।
5-	योजना सं0-3 कानपुर के अन्तर्गत प्रस्तावित दु0आ0वर्ग0 डब्लू0-1/80 प्रकार के 242 तथा अल्प आय वर्ग एस0-3/79 प्रकार के 46 भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(15)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
6-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ऋण पत्र एकादशम श्रृंखला धनराशि रु0 110 लाख जारी किये जाने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(16)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।
7-	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-9 में शासन ऋण से प्रस्तावित 112 साइट एण्ड सर्विसेज के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(17)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
8- इन्दिरानगर विस्तार योजना सैक्टर-9 लखनऊ दूसर अपना योजना फेज तथा सिकन्दरा योजना सैक्टर-4 बी0 आगरा के अन्तर्गत शासन ऋण से प्रस्तावित साइट एण्ड सर्विसेज के 338 इकाईयों 2/27 प्रकार की निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(8)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।	
9- योजना सं0-6 मेरठ के अन्तर्गत प्रस्तावित दु0आ0 व0-18/40 प्रकार के 321 तथा अ0आ0व0 के 29/60 प्रकार के 14 भवनों निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(9)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।	
10- इन्दिरानगर योजना लखनऊ में सैक्टर-4 में व्यवसायिक क्षेत्र हेतु विशेष विकास कार्य चलाने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(10)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।	
11- कबीर नगर योजना, वाराणसी में 24 नयु दुकानों तथा 3 कियोस्कों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(11)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।	
12- योजना सं0-2 मेरठ के विकास कार्यों हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(12)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।	
13- कोटद्वार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 कोटद्वार (क्षेत्रफल 16.78 एकड़ तथा अनुमानित व्यय रु0 102,983 लाख)।	द्वितीय/(13)/86	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।	
14- इन्दिरा नगर योजना देहरादून में 5 पर्वतारोहियों हेतु शासन से प्राप्त धनराशि से उ0आ0 व0/स्व0वित्त0-97/242 प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(14)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।	
15- मेरठ योजना सं0-6 मेरठ के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त भूमि 42.72 को विकास कार्य कराने हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(15)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।	
16- कानपुर, मैनपुरी, मेरठ, आगरा तथा उन्नाव आदि नगरों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित दु0आ0 व0 तथा अल्प आ0व0 के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(16)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।	
17- वर्ष-85-86 के 31 दिसम्बर-85 तक निर्मित किये गये भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(17)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।	

1	2	3	4
18-	कुर्सी रोड योजना लखनऊ में श्री वीरभान साधा, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को प्रदिष्ट म0आ0व0भवन सं0-3/136 की प्रथम एक मुश्तराशि में से रु0 20,000/- को दो वर्षों के स्थान पर 10 वर्षों की सामान्य मासिक किश्तों में किये जाने हेतु।	द्वितीय/(18)/86	परिषद द्वारा सम्यक विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री वीरभान साधा, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को प्रदिष्ट म0आ0व0 भवन संख्या 3/136 के विरुद्ध प्रथम एक मुश्त राशि में से 20,000/- की धनराशि को दो वर्षों के स्थान पर 10 वर्षों की समान मासिक किश्तें अपवाद स्वरूप बिना विकल्प परिवर्तन शुल्क के नियमानुसार ब्याज सहित कर दी जायें।
19-	विवादित प्राधिकारी आवास आयुक्त द्वारा दृष्टान्तिक प्रकरण पर पारित आदेश सं0-943/प्रशा0-एक-473 दि0 21-6-83 के विरुद्ध श्री उत्तम चन्द्र बंसल, सहायक अभियन्ता के द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई के प्रसंग में।	द्वितीय/(19)/86	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
20-	भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री, श्री राम प्रकाश को इन्दिरानगर लखनऊ में आवासीय भूखण्ड प्रदिष्ट किये जाने के संदर्भ में।	द्वितीय/(20)/86	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
21-	हरिद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 ऋषिकेश (क्षेत्रफल 20 एकड़ अनुमानित लागत रु0 38.443 लाख) को परित्याग करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(21)/86	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
22-	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के अन्तर्गत टेलीफोन्स विभाग को प्रदिष्ट भूखण्ड सं0-24/1 के सम्बन्ध में देय ब्याज से छूट दिये जाने के संदर्भ में।	द्वितीय/(22)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त अपवाद स्वरूप जो पूर्व दृष्टान्त नहीं माना जायेगा स्वीकृति प्रदान की गयी।
23-	[illegible]ायक आवास आयुक्त के पद [illegible]र प्रोन्नति के सम्बन्ध में [illegible] विनियमावली।	द्वितीय/(23)/86	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
24-	नगर सुधार मण्डलों के [illegible] में संविलियन [illegible]) के फलस्वरूप प्राप्त [illegible]क सम्पत्ति के सम्बन्ध	द्वितीय/(24)/86	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
25-	[illegible]त्तीय वर्ष-1979-80 के [illegible]र्षिक लेखे पर जांच आख्या एवं उस पर अनुपालन कार्यवाही।	द्वितीय/(25)/86	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
26-	वर्ष-1985-86 में विभिन्न प्रकार के खोले गये पंजीकरण के सम्बन्ध में परिषद कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न नगरों में भूमि की उपलब्धता एवं परिषद की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये नये विकसित भूखण्डों/भवनों के आवंटन हेतु नये पंजीकरण खोलने की आवश्यकता पर विचार करते हुये निम्नलिखित नगरों में उनके सम्मुख श्रेणियों एवं योजनाओं के अन्तर्गत नया पंजीकरण खोला गया था।	द्वितीय/(26)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
27-	कुर्सी रोड योजना लखनऊ के सेक्टर-6 में प्रस्तावित 6 नग दुकानें तथा 6 फ्लैट कार्यों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(127)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
28-	हडको पोषित योजनाओं में रिवाइज्ड कार्डिनेशन पैटर्न के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(128)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
29-	हडको वित्त पोषित 10 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(129)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
30-	आगरा, कानपुर तथा लखनऊ में द0आ0ब0 के भवनों के निर्माण हेतु ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लखनऊ से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(130)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श द्वारा के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी। परिषद ने यह निर्णय भी लिया कि ऐसे ऋण अनुबन्ध जो परिषद एवं तथा बैंक, हडको अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के मध्य निष्पादित होंगे को परिषद की ओर से अपर आवास आयुक्त एवं सचिव को भी अनुबन्ध करने, काउण्टर गारण्टी पर हस्ताक्षर करने एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार भुगतान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
31-	बदपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 फतेहपुर में समाविष्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कानपुर की भूमि सं0-519 क्षेत्रफल 0.80 एकड़ (अर्थात् 3237 वर्ग मीटर) को अर्जन से मुक्त करने विषयक।	द्वितीय/(131)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये योजना के भूखण्ड सं0-519 की 1.13 एकड़ भूमि भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में अर्जन मुक्त करते हुये योजना के ले-आउट प्लान में समायोजित कर दी जाय।
32-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष-1984-85 के अनुग्रह धनराशि का भुगतान।	द्वितीय/(132)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित प्रकरण पर शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जाये।
33-	इन्दिरानगर योजना देहरादून में विभिन्न संस्थाओं को निर्दिष्ट भूमि दर के संबंध में।	द्वितीय/(133)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त मूल्यांकन समिति का निर्णय स्वीकार हुआ।
34-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों पंजीकरण एवं प्रदेशान सम्बन्धी विनियम-1979 के विनियम सं-13 में संशोधन के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(134)/86	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत किया गया।
35-	परिषद योजनाओं में स्वीकृत हेतु मानचित्र तैयार करने हेतु लाइसेंस के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(135)/86	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
36-	परिषद योजनाओं में भवन/भूखण्ड पर आवंटी द्वारा प्रस्तावित निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति के समय लिये जाने वाले निर्माण सामग्री संचय शुल्क तथा जल व्यय शुल्क के संबंध में।	द्वितीय/(136)/86	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।

1	2	3	4
37-	परिषद की इन्दिरानगर योजना में आवंटित द०आ०व० भवन सं०-सी०-2129/4 स्व० श्री हरी सिंह बोरा के भाई श्री सुन्दर सिंह बोरा के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(37)/86	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
38-	आवास परिषद की झाँसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 इलाहाबाद के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(38)/86	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
39-	परिषद की योजनाओं में विधायकों/ भूतपूर्व विधायकों को 4 प्रतिशत आरक्षण के अन्तर्गत भवन/ भूखण्डों आवंटन के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(39)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिन भू०पूर्व विधायकों ने अपने विधायक काल में ही विधान मण्डल की विधायक आवास समिति अथवा आवास परिषद में धनराशि जमा करा दी हो तो उन्हें पंजीकरण की उक्त सुविधा दे दी जाये। भूतपूर्व विधायकों/ को वांछित धनराशि विधायक आवास समिति से परिषद के खाते में स्थानान्तरित होने की तिथि अथवा सीधे परिषद के खाते में जमा होने की तिथि को मान पंजीकरण के दौर की वरीयता दी जाये। यदि इस तिथि को उनके द्वारा इच्छित श्रेणी/शहर में पंजीकरण जहाँ नहीं खाला है, तो उन्हें उस श्रेणी/ शहर के अन्तिम दौर की वरीयता दी जाय।
40-	सीतापुर मध्यम आय वर्ग भवनों के किश्तों की वसूली 18 वर्षों के स्थान पर 15 वर्षों में करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(40)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।
41-	श्री महावीर प्रसाद संसद सदस्य को गोरखपुर में प्राथमिकता के आधार पर मध्यम आय वर्ग के भवन के आवंटन के संबंध में।	द्वितीय/(41)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री महावीर प्रसाद, संसद सदस्य जो गोरखपुर में मध्यम आ०व० हेतु पंजीकृत है को विशेष परिस्थितियों में गोरखपुर में अवशेष रिक्त म०आ०व० भवन सं०-बी०-88 नकद क्रय पद्धति पर आवंटित कर दिया जाय। इस अनुक्रम में प्राप्त अन्य प्रार्थना पत्र पर अध्यक्ष महोदय निर्णय ले लें।
42-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के परस्पर समन्वय सम्बन्धी कार्यों का विवेचन और इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण।	द्वितीय/(42)/86	परिषद के विभिन्न नगरों में योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निर्मित सम्पत्तियों के प्रबन्ध हेतु क्रमशः निर्माण खण्डों के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता एवं सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी तैनात हैं। इन दोनों अधिकारियों के मध्य समन्वय की और आवश्यकता है। परिषद के कार्यकलापों को सफल बनाने हेतु पंजीकृत व्यक्तियों तथा आवंटियों की कठिनाई को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि इन दोनों अधिकारियों के मध्य समुचित तालमेल बना रहे। वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के परस्पर समन्वय सम्बन्धी कार्यों की पुनः समीक्षा की जाय ताकि

	2	3	4
			सम्पत्ति प्रबन्धा अधिकारी और प्रभावी ढंग से कार्य कर सके तथा निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का समुचित सहयोग प्राप्त कर सकें। इस प्रकरण पर महाविद्यालय पर समीक्षा की जाय और समुचित सुझाव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जायें

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष

फ्रैन्कली न–29–5–86